

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:प.4 (iv) कृ.यंत्र/2015-16/ 4066-74.

दिनांक:

30-3-16

वित्तीय स्वीकृति आदेश

आयुक्तालय के आदेश क्रमांक प.4(iv)कृ.यंत्र/2015-16/3480 दिनांक 24.02.2016 द्वारा "कस्टम हायरिंग केन्द्र सुरास" पं. स. माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा की स्थापना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त स्वीकृति में आवेदक द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त करने के अनुरोध में परिपेक्ष्य में ऋण प्रदाता बैंक के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बरुन्दनी का उल्लेख किया गया था, किन्तु आवेदक द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधनों का उपयोग किये जाने तथा उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद भीलवाड़ा द्वारा की गई अनुशांसा के क्रम में पूर्व में जारी प्रशासनिक स्वीकृति आदेश को तदनुसार संशोधित किया जाता है।

"कस्टम हायरिंग केन्द्र सुरास" पं. स. माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा के अन्तर्गत स्वीकृति कृषि यंत्रों/उपकरणों के क्रय सम्बन्धी प्रस्तुत प्रमाण, सहायक कृषि अधिकारी बीगोद द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन तथा उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद कार्यालय भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु आयुक्तालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक प.4(iv) कृ.यंत्र/2015-16/822-912 दिनांक 15.06.2015 के अन्तर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु अनुमोदित कृषि यंत्रों की लागत राशि की 40% राशि बैंक एन्ड सब्सिडी (Back end subsidy) के रूप में स्वीकृत किये जाने के प्रावधान के अन्तर्गत "कस्टम हायरिंग केन्द्र सुरास" पं. स. माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा के अन्तर्गत क्रय किये गये कृषि यंत्रों/उपकरणों की कुल लागत राशि रु. 12,22,500/- मात्र (अक्षरे रूपये बारह लाख बाईस हजार पाँच सौ मात्र) की 40% राशि, राशि रु. 4,89,000/- मात्र (अक्षरे रूपये चार लाख नवासी हजार मात्र) का भुगतान बैंक एन्ड सब्सिडी (Back end subsidy) के रूप में श्री छीतर लाल निवासी ग्राम सुरास पं. स. माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा को किये जाने हेतु उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद भीलवाड़ा को एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है।

बैंक एन्ड सब्सिडी (Back end subsidy) के रूप में स्वीकृत राशि जो आवेदक द्वारा स्वयं के नाम से 4 वर्ष की अवधि की सावधि जमा के रूप में होगी को उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद भीलवाड़ा कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। विकल्प के रूप में आवेदक द्वारा बैंक एन्ड सब्सिडी (Back end subsidy) के रूप में स्वीकृत राशि को बैंक गारण्टी जो उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद भीलवाड़ा के पक्ष में देय होगी, को भी इस प्रयोजन हेतु स्वीकार किया जायेगा।

(डॉ० नीरज कुमार पवन)

आयुक्त एवं पदेन


विशिष्ट शासन सचिव, कृषि

क्रमांक:प.4 (iv) कृ.यंत्र/2015-16/ 4066-74

दिनांक: 30.03.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान) मुख्यालय, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कृषि, मुख्यालय, जयपुर।
4. खण्डीय संयुक्त निदेशक, कृषि भीलवाड़ा।
5. उप निदेशक, कृषि (वि0), जिला परिषद भीलवाड़ा को उनके पत्रांक पत्र क्रमांक एफ 1 (.) 2015-16/9225-27 दिनांक 29.03.2016 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की पालना सुनिश्चित कराते हुये वित्तीय स्वीकृति के आधार पर बैंक एन्ड सब्सिडी के रूप में स्वीकृत राशि जो आवेदक द्वारा स्वयं के नाम से 4 वर्ष की अवधि की सावधि जमा के रूप में होगी को उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद भीलवाड़ा कार्यालय में सुरक्षित रखी जावे। विकल्प के रूप में आवेदक द्वारा बैंक एन्ड सब्सिडी (Back end subsidy) के रूप में स्वीकृत राशि बैंक गारण्टी जो उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद भीलवाड़ा के पक्ष में होगी, को भी इस प्रयोजन हेतु स्वीकार किया जावे।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/सहायक जन संपर्क अधिकारी मुख्यालय, जयपुर।
7. श्री छीतर लाल निवासी ग्राम सुरास पं. स. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि "कस्टम हायरिंग केन्द्र सुरास" पं. स. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा की स्थापना की कार्यवाही पूर्ण करे।
8. आरक्षी पत्रावली।



(एल. एन. कुमावत)

अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार)

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:प.4 (iv) कृ.यंत्र/2015-16/ 4075-83

दिनांक: 30.2.16


वित्तीय स्वीकृति आदेश

आयुक्तालय के आदेश क्रमांक प.4(iv)कृ.यंत्र/2015-16/3472-73 दिनांक 24.02.2016 द्वारा "कस्टम हायरिंग केन्द्र बरुन्दनी" पं. स. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा की स्थापना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त स्वीकृति में आवेदक द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त करने के अनुरोध में परिपेक्ष्य में ऋण प्रदाता बैंक के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बरुन्दनी का उल्लेख किया गया था, किन्तु आवेदक द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधनों का उपयोग किये जाने तथा उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद भीलवाड़ा द्वारा की गई अनुशंसा के क्रम में पूर्व में जारी प्रशासनिक स्वीकृति आदेश को तदनुसार संशोधित किया जाता है।

"कस्टम हायरिंग केन्द्र बरुन्दनी" पं. स. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा के अन्तर्गत स्वीकृति कृषि यंत्रों/उपकरणों के क्रय सम्बन्धी प्रस्तुत प्रमाण, सहायक कृषि अधिकारी सिंगोली द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन तथा उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद कार्यालय भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन एवं कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु आयुक्तालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक प.4(iv) कृ.यंत्र/2015-16/ 822-912 दिनांक 15.06.2015 के अन्तर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु अनुमोदित कृषि यंत्रों की लागत राशि की 40% राशि बैंक एन्ड सब्सिडी (Back end subsidy) के रूप में स्वीकृत किये जाने के प्रावधान के अध्याधीन "कस्टम हायरिंग केन्द्र बरुन्दनी" पं. स. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा के अन्तर्गत क्रय किये गये कृषि यंत्रों/उपकरणों की कुल लागत राशि रु. 9,91,000/- मात्र (अक्षरे रूपये नौ लाख इक्यानवे हजार मात्र) की 40% राशि, राशि रु. 3,96,600/- मात्र (अक्षरे रूपये तीन लाख छियानवे हजार छः सौ मात्र) का भुगतान बैंक एन्ड सब्सिडी (Back end subsidy) के रूप में श्री भंवर लाल पुत्र श्री नन्द लाल एवं श्री श्रवण लाल पुत्र श्री नन्द लालनिवासी ग्राम बरुन्दनी पं. स. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा को किये जाने हेतु उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद भीलवाड़ा को एतद द्वारा अधिकृत किया जाता है।

बैंक एन्ड सब्सिडी (Back end subsidy) के रूप में स्वीकृत राशि जो आवेदक द्वारा स्वयं के नाम से 4 वर्ष की अवधि की सावधि जमा के रूप में होगी को उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद भीलवाड़ा कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। विकल्प के रूप में आवेदक द्वारा बैंक एन्ड सब्सिडी (Back end subsidy) के रूप में स्वीकृत राशि को बैंक गारण्टी जो उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद भीलवाड़ा के पक्ष देय में होगी, को भी इस प्रयोजन हेतु स्वीकार किया जायेगा।


  
(डॉ० नीरज कुमार पवन)  
आयुक्त एवं पदेन  
विशिष्ट शासन सचिव, कृषि

क्रमांक:प.4 (iv) कृ.यंत्र/2015-16/ 4075- 83

दिनांक: 30.3.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान) मुख्यालय, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कृषि, मुख्यालय, जयपुर।
4. खण्डीय संयुक्त निदेशक, कृषि भीलवाड़ा ।
5. उप निदेशक, कृषि (वि०), जिला परिषद भीलवाड़ा को उनके पत्रांक पत्र क्रमांक एफ 2 ( ) उ.नि. कृ.(वि०)/बांस/2015-16/2860-64 दिनांक 27.03.2016 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की पालना सुनिश्चित कराते हुये वित्तीय स्वीकृति के आधार पर बैंक एन्ड सब्सिडी के रूप में स्वीकृत राशि जो आवेदक द्वारा स्वयं के नाम से 4 वर्ष की अवधि की सावधि जमा के रूप में होगी को उप निदेशक, कृषि (वि०) जिला परिषद भीलवाड़ा कार्यालय में सुरक्षित रखी जावे। विकल्प के रूप में आवेदक द्वारा बैंक एन्ड सब्सिडी (Back end subsidy) के रूप में स्वीकृत राशि बैंक गारण्टी जो उप निदेशक, कृषि (वि०) जिला परिषद भीलवाड़ा के पक्ष में होगी, को भी इस प्रयोजन हेतु स्वीकार किया जावे।
6. एनालिस्ट कर्म प्रोग्रामर/सहायक जन संपर्क अधिकारी मुख्यालय, जयपुर।
7. श्री भंवर लाल पुत्र श्री नन्द लाल एवं श्री श्रवण लाल पुत्र श्री नन्द लालनिवासी ग्राम बरुन्दनी पं. स. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि "कस्टम हायरिंग केन्द्र बरुन्दनी" पं. स. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा की स्थापना की कार्यवाही पूर्ण करे।
8. आरक्षी पत्रावली।



(एल.एन. कुमावत)

अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार)

रुहाना

16

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:प.4 (iv) कृ.यंत्र/2015-16/ 4057-65

दिनांक: 30.3.16


वित्तीय स्वीकृति आदेश

आयुक्तालय के आदेश क्रमांक प.4(iv)कृ.यंत्र/2015-16/3680-89 दिनांक 11.03.2016 द्वारा "कस्टम हायरिंग केन्द्र आगूँचा" पंचायत समिति हुरडा जिला भीलवाड़ा की स्थापना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

आवेदक के स्वयं के वित्तीय संसाधनों के उपयोग में लिये जाने के आधार पर स्वीकृत "कस्टम हायरिंग केन्द्र आगूँचा" पंचायत समिति हुरडा जिला भीलवाड़ा के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्वीकृत कृषि यंत्रों/उपकरणों के क्रय सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त सहायक कृषि अधिकारी गुलाबपुरा प्रथम जिला भीलवाड़ा द्वारा स्वीकृत कृषि यंत्रों/उपकरणों के भौतिक सत्यापन किया गया।

उप निदेशक, कृषि (वि०) जिला परिषद कार्यालय भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन एवं कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु आयुक्तालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक प. 4(iv) कृ.यंत्र/2015-16/ 822-912 दिनांक 15.06.2015 के अन्तर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु अनुमोदित कृषि यंत्रों की लागत राशि की 40% राशि बैंक एन्ड सब्सिडी (Back end subsidy) के रूप में स्वीकृत किये जाने के प्रावधान के अधीन "कस्टम हायरिंग केन्द्र आगूँचा" पंचायत समिति हुरडा जिला भीलवाड़ा के अन्तर्गत क्रय किये गये कृषि यंत्रों/उपकरणों की कुल लागत राशि रु. 8,16,500/- मात्र (अक्षरे रूपये आठ लाख सोलह हजार पाँच सौ मात्र) की 40% राशि, राशि रु. 3,26,600/- मात्र (अक्षरे रूपये तीन लाख छब्बीस हजार छः सौ मात्र) का भुगतान बैंक एन्ड सब्सिडी (Back end subsidy) के रूप में श्री आशीष पुरोहित निवासी ग्राम आगूँचा पंचायत समिति हुरडा जिला भीलवाड़ा को किये जाने हेतु उप निदेशक, कृषि (वि०) जिला परिषद भीलवाड़ा को एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है।

बैंक एन्ड सब्सिडी (Back end subsidy) के रूप में स्वीकृत राशि जो आवेदक द्वारा स्वयं के नाम से 4 वर्ष की अवधि की सावधि जमा के रूप में होगी को उप निदेशक, कृषि (वि०) जिला परिषद भीलवाड़ा कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। विकल्प के रूप में आवेदक द्वारा बैंक एन्ड सब्सिडी (Back end subsidy) के रूप में स्वीकृत राशि को बैंक गारण्टी जो उप निदेशक, कृषि (वि०) जिला परिषद भीलवाड़ा के पक्ष में देय होगी, को भी इस प्रयोजन हेतु स्वीकार किया जायेगा।

  
(डॉ० नीरज कुमार पवन)  
आयुक्त एवं पदेन  
विशिष्ट शासन सचिव, कृषि

क्रमांक:प.4 (iv) कृ.यंत्र/2015-16/ 4057-65

दिनांक: 30.3.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान) मुख्यालय, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कृषि, मुख्यालय, जयपुर।
4. खण्डीय संयुक्त निदेशक, कृषि भीलवाड़ा।
5. उप निदेशक, कृषि (वि०), जिला परिषद भीलवाड़ा को उनके पत्रांक पत्र क्रमांक एफ 1 ( ) 2015-16/9231-33 दिनांक 29.03.2016 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की पालना सुनिश्चित कराते हुये वित्तीय स्वीकृति के आधार पर बैंक एन्ड सब्सिडी के रूप में स्वीकृत राशि जो आवेदक द्वारा स्वयं के नाम से 4 वर्ष की अवधि की सावधि जमा के रूप में होगी को उप निदेशक, कृषि (वि०) जिला परिषद भीलवाड़ा कार्यालय में सुरक्षित रखी जावे। विकल्प के रूप में आवेदक द्वारा बैंक एन्ड सब्सिडी (Back end subsidy) के रूप में स्वीकृत राशि बैंक गारण्टी जो उप निदेशक, कृषि (वि०) जिला परिषद भीलवाड़ा के पक्ष में होगी, को भी इस प्रयोजन हेतु स्वीकार किया जावे।
6. ~~एन.एल.एन.एन.एन.एन.~~ कम प्रोग्रामर/सहायक जन संपर्क अधिकारी मुख्यालय, जयपुर।
7. श्री आशीष पुरोहित निवासी ग्राम आगूँचा पंचायत समिति हुरडा जिला भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि "कस्टम हायरिंग केन्द्र आगूँचा" पंचायत समिति हुरडा जिला भीलवाड़ा की स्थापना की कार्यवाही पूर्ण करे।
8. आरक्षी पत्रावली।



(एल.एन. कुमावत)  
अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार)